सत्यमेव जयते	**राजस्थान राज-पत्र** **विशेषांक**	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 15, मंगलवार, शाके 1942- मई 5, 2020 *Vaisakha 15, Tuesday , Saka 1942- May 5, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 06, 2020

जी;एस.आर.114:-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों में बचत करने के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम संख्यांक 8 के सामने स्तम्भ 3 में आयी विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(i) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.;

(ii) राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि.''

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 8 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 9 और उसकी प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 8क और उसकी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"8क.	हैण्ड सेनेटाइजर	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.	1 केवल कोविड-19 महामारी के प्रबन्ध के लिए। 2. केवल आरएसजीएसएम द्वारा विनिर्मित मद।"

[संख्या प. 2 (1)एफडी/ जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

हेमन्त कुमार गेरा,

शासन सचिव

वित्त (बजट) विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।